

प्रेस नोट थाना बासगांव दिनांक 13-09-2021

अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण व विक्री के आरोप मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बांसगांव के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह व उ0नि0 अरशद खाँ द्वारा मय हमराह कर्मचारीगण के अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण व विक्री करने वाले वांछित अभियुक्त फूलचन्द पुत्र बुद्धिराम निवासी ग्राम गुआर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 118/2021 धारा 60,60(2),63 आबकारी अधिनियम व 272,273 भादवि थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को मुखबीर खास की सूचना पर गुआर तिराहा समय करीब 11.55 बजे गिरफ्तार कर, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अभियुक्त फूलचन्द पुत्र बुद्धिराम निवासी ग्राम गुआर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान-

दिनांक 13.09 2021.समय 11.55 बजे, गिरफ्तारी का स्थान गुआर तिराहा

अपराधिक इतिहास का विवरण -

मु0अ0सं0 118/2021 धारा 60,60(2),63 आबकारी अधिनियम व 272,273 भादवि0 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी टीम मे सम्मिलित पुलिस अधि0/कर्मचारी-

- 1.प्र0नि0 राणादेवेन्द्र प्रताप सिंह
- 2.उ0नि0 अरशद खाँ
- 3.आरक्षी अभिषेक कुमार
- 4.आरक्षी विकास कुमार